(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एस0एस0अली
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 283–दो/2010 – विरूद्व आदेश दिनांक 17–11–2009 पारित व्दारा तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 1576–एक/2005 निगरानी

1– रामपाल सिंह 2– सोबरन सिंह
3– सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण शेर सिंह ग्राम बरखेडी
जमाल तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ———आवेदकगण

विरूद्व

1– रूप सिंह पुत्र रामरतन ग्राम बरखेड़ा
जमाल तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर
2– श्रीमती कोमलवाई पुत्री रामरतन पत्नि
सुन्दरसिंह ग्राम पैरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा
3– श्रीवाई पुत्री रामरतन पत्नि राजधर सिंह ग्राम
जोथ तहसील बीना जिला सागर
4– श्रीमती कमलावाई पुत्री रामरतन पत्नि शेरसिंह
ग्राम सेमरखेड़ी तहसील बीना जिला सागर
5– श्रीमती राजवाई पुत्री रामरतन पत्नि दिमानसिंह
ग्राम बरखेड़ी तहसील कुरवाई जिला विदिशा
6– शेर सिंह पुत्र रामरतन सिंह ग्राम ग्राम बरखेडी
जमाल तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क–3 के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 14–09–2017 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्र0क0 1576–एक/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–11–09 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में अंकित अनुसार ग्राम बरखेड़ा जमाल की आराजी नंबर 4/3, 48, 57 में हिस्सा 35 पैसे भूमि सुमंत्रावाई पत्नि स्व0 रामरतन सिंह के नाम थी, जो अपने छोटे पुत्र महेन्द्र के साथ रहतीं थीं एंव उनके व्दारा महेन्द्र के नाम बसीयत कर दी। सुमंत्रावाई पत्नि स्व0 रामरतन सिंह की मृत्यु उपरांत नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 33 अ–6/02–03 में पारित आदेश दिनांक 31–5–03 से बसीयत के आधार पर महेन्द्र का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 139/02–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–10–03 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 21/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–6–05 से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई। तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1576–एक/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–11–09 से निगरानी अस्वीकार की। इसी आदेश को पुनर्विलोकन किये जाने हेतु यह प्रकरण स्थापित हुआ है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक–3 के अभिभाषक के तर्क सुने गये। शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों , आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक–3 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने

प्रकरण कमांक 21/2003—04 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—6—05 से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 1576—एक/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17—11—09 में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29—6—05 को इसीलिये हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है क्योंकि समस्त पक्षकारों को विचारण न्यायालय में सुनवाई का एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। पुनरावलोकन आवेदन पर विचार करने पर स्थिति यह है कि संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार दिये हैं —

1. नवीन या सारपूर्ण साक्ष्य ज्ञात होना जो पक्षकार के ज्ञान में आदेश दिये जाने से पूर्व नहीं रही और उसके व्दारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।
2. मामले के अभिलेख से ही कोई प्रकट प्रत्यक्षदर्शी भूल या गलती ।
3. कोई अन्य पर्याप्त हेतुक ।

आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1576—एक/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17—11—09 को उक्त में किन आधारों पर पुनरावलोकन में हस्तक्षेप किया जाय। पुनरावलोकन आवेदन सारहीन होने से अमान्य किया जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर